पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन **(**खंड पीठ**) No.325**

पीएस मामला संख्या-242 वर्ष-2013 थाना-कराकट जिला-रोहतास, से उत्पन्न

शंकर चौधरी श्री बृज राज चौधरी के पुत्र, गाँव-मालपुरा के निवासी, पी. ओ.-सकाला, थाना करकट (गोरारी), जिला-रोहतास।

..... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य .....प्रत्यार्थी

साथ में

2017 का आपराधिक आवेदन **(**खंड पीठ**)** सं**. 456**

थाना कांड संख्या-242 वर्ष-2013 थाना-कराकट जिला-रोहतास, से उत्पन्न

बिंदेश्वरी साह का बेटा सुकेश साह, गाँव-मालपुरा, पुलिस स्टेशन-गोरारी (काराकट), जिला-रोहतास का निवासी। ..... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य .....प्रत्यार्थी

साथ में

2017 का आपराधिक आवेदन **(**खंड**-**पीठ**)** सं**. 481**

थाना कांड संख्या- 242 वर्ष-2013 थाना-कराकट जिला-रोहतास, से उत्पन्न

देविंद्र कुमार चौधरी राम परिक्षण चौधरी का पुत्र, मालपुरा का निवासी, पी. एस.-करकट, जिला-रोहतास। .....अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य .....प्रत्यार्थी

भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302/34 फर्दव्यान और चश्मदीनों की गवाही के अनुसार, मृतक ने उनके और सह ग्रामीणों के सामने मौखिक मृत्यु पूर्व धोषणा की, मृतक ने आरोप लगाया कि अपीलकर्त्ताओं ने उस पर चाकू से बुरी तरह हमला किया था। अभयोजन पक्ष ने पहचान के स्त्रोत के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया जिसमें अपीलर्त्ताओं की पहचा मृत्क द्वारा की गई थी। घटना का समय (अक्टूबर माह में शाम 7.00 - 7.30 बजे) भी सटीक पहचान की संभावन पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, मृत्क का शवपरीक्षा करने वाले डाक्टर ने कहा कि ऐसी चोअ लगने पर व्यक्ति तुरंत मर जाएगा मृत्क पूर्व मौखिल व्यान विश्वसनीय नहीं है। मुखबिर सहित सभी प्रत्यक्षदर्शी संबंधी गवाह है और इसलिए गवाह की गवाही संदिग्ध विरोधाभासी और असंगत है ◌ मुखबिर ने दावा किया कि उसने मृतक की चीख 800 गज अर्थात 0.728 कि० भी की काफी दूरी से ग्रील उतारते समय सुनी थी। इतनी दूर से चिल्लाने की आवाज सुनने का उनका दावा उचित नहीं है। यह उल्लेखनीय हेकि मृतक को चाकू से कई चोटे लगी थी जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई लेकिन जॉच रिपोर्ट, गवाहों की गवाही और शवपरीक्षा के निष्कर्षो के अनुसार उसके कपडों पर कोई कटने का निशान नहीं था। सामूहिक रुप से वे सभी प्रस्तुत साक्ष्यों की वैधता और पूर्णता के संबंध में गंभीर सवाल उठाते हे। कपडों पर कटे के निशानों का समर्थन करने वाले ठोस सबूतों के अभाव के कारण अभियोजन पक्ष के मामले में एक बुनियादी अंतर उभरत कर सामने आता हे, जिन तीन व्यक्तियों ने मृतक को तालाब से बाहर निकालने में मुखबिर की सहायता की थी वे मौखिक मृत्यु पूर्व कथन के स्वतंत्र गवाह हो सकते थे। हलॉकि उनकी गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष पर संदेह पैदा करती है। उक्त महत्वपूर्ण गवाहों की गैर-परीक्षा अपीलकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। दोषसिद्धि और सजा खारिज की गयी।

उपस्थिति:

(2017 के आपराधिक आवेदन (खंड-पीठ) संख्या 325 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री अरविंद कुमार पांडे, अधिवक्ता

श्री अभिषेक, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, एपीपी

(2017 का आपराधिक आवेदन (खंड-पीठ) संख्या 456)

अपीलार्थी के लिए: श्री अरविंद कुमार पांडे, अधिवक्ता

श्री अभिषेक, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिएः श्री सत्य नारायण प्रसाद एपीपी

(2017 का आपराधिक आवेदन (खंड-पीठ) संख्या 481)

अपीलार्थी के लिएः श्री शंभू नारायण सिंह, अधिवक्ता

श्री बिपिन कुमार, एपीपी 09-10-2023

कोरम माननीय न्यायमूर्ति सुधीर सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह सी.ए.वी. निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति सुधीर सिंह द्वारा**)**

तिथी**: 09-10-2023**

आपराधिक अपीलें दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय दिनांक 15.02.2017 और सजा के आदेश दिनांक 22.02.2017 से उत्पन्न हैं, इसलिए, एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. ऊपर नामित सभी अपीलकर्ताओं ने 2013 के काराकट थाना मामले से उत्पन्न 2014 के सत्र मुकदमे में रोहतास, सासाराम के सत्र न्यायाधीश श्री प्रभु नाथ सिंह द्वारा पारित दोषसिद्धि के सामान्य फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ इन अपीलों को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत और जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धाराओं (आई. पी. सी.) के तहत दोषी ठहराया गया है और आई. पी. सी. की धाराओं (आई. डी. 6) के तहत अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक को आई. डी. 4,000/- के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, मुखबिर विकेश कुमार (पीडब्लू 5) की लिखित रिपोर्ट के अनुसार, यह है कि 26.10.2013 को लगभग 7:30 बजे उनके बड़े भाई रमेश कुमार साह सड़क की ओर नित्यक्रम से निबटने गए थे। इस बीच उसने अपने भाई का चिल्लाना सुना, जिसके बाद वह सड़क की ओर भागा और उसने टार्च की रोशनी में देखा कि आरोपी व्यक्ति-अपीलकर्ता दवीद्र कुमार चौधरी, सुकेश साह और शंकर चौधरी चाकू से लैस थे और वे बार-बार

चाकू भौक रहे थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने मुखबिर को देखकर उसकी जान लेने के लिए भी कहा। फिर वह वहाँ ग्राम शोर मचाते हुए गाँव की ओर भागा। अभियुक्त व्यक्तियों ने मुखबिर के भाई को पानी में फेंक दिया और भाग गए। गाँव वालों की मदद से मुखबिर के भाई को पानी से बाहर निकाला गया, फिर मुखबिर ने अपने भाई के चाकू बनाने वाले व्यक्ति पर चोट देखी। उनके भाई ने उनसे पूछा कि सुकेश साह, देविंद्र कुमार चौधरी और शंकर चौधरी ने चाकू से उन पर बुरी तरह से हमला किया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए कहा।फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनके भाई की मौत हो गई। फिर वे उसके भाई के शव के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। मुखबिर द्वारा यह दावा किया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने समान इरादे से चाकू से अपने भाई की हत्या कर दी।

4. मुखबिर के फरदबेयान के आधार पर 2013 का काराकट थाना मामला सं. .242 दर्ज किया गया था।जाँच पूरा होने के बाद जाँच अधिकारी ने आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत और उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया और उसके बाद मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे जिन पर अपीलार्थियों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाहों से पूछताछ की, जिनमें राजेश कुमार साह उर्फ राजेश कुमार (पीडब्लू 1), नाथुनी साह (पीडब्लू 2), राजेंद्र साओ (पीडब्लू 3), अमरावती देवी उर्फ उमरावती देवी (पीडब्लू 4), विकेश कुमार उर्फ विकास-मुखबिर (पीडब्लू 5), डॉ. केडी पूजन (पीडब्लू 6), राजिंदर यादव (पीडब्लू 7), अजीत चौधरी (पीडब्लू 8) और बम बहादुर चौधरी (पीडब्लू 9) शामिल हैं।अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज 1 (फरदबेयान), दस्तावेज 2 (लिखित रिपोर्ट), दस्तावेज 3 (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट), दस्तावेज 4 (औपचारिक प्रथम इत्तिला रोपोर्ट), दस्तावेज 5 (जब्ती सूची) और दस्तावेज 6 (पूछताछ रिपोर्ट) के रूप में प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए हैं।अपने मामले के समर्थन में, बचाव पक्ष ने प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। Ext.A (काराकट थाना मामले No.148/2009 के अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का सी. सी.)।मुकदमे के निष्कर्ष के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उपरोक्त बताए गए तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि परीक्षण कई दुर्बलताओं से ग्रस्त है जिन्हें विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है और इसलिए, विवादित

निर्णय कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष घटना के स्थान और तरीके को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भौतिक विरोधाभास और विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करती हैं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पीडब्लू 1, पीडब्लू 2, पीडब्लू 3, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 की चश्मदीद गवाही में गंभीर विसंगतियां मौजूद हैं। यह बताया गया है कि उनकी गवाही विसंगतियों से ग्रस्त है और अस्वीकृति के योग्य है। इसके अलावा, पीडब्लू 5 (मुखबिर), जिसे कथित तौर पर एक चश्मदीद गवाह कहा जाता है, अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में अन्य गवाहों की उपस्थिति का उल्लेख नहीं करता है। इस न्यायालय का ध्यान प्रकाश स्त्रोत के किसी भी स्रोत की अनुपस्थिति की ओर भी आकर्षित किया गया है, और इस तरह, कथित अपराध में अपीलार्थियों की भागीदारी के संबंध में मृतक द्वारा अपनी मौखिक मृत्यु घोषणा में की गई पहचान की संभावना को गलत पहचान माना जा सकता है। इसके अलावा, एक डॉक्टर की गवाही मौखिक मृत्यु घोषणा पर संदेह करती है, जिसमें कहा गया है कि रोगी की कई चोटों के बाद तुरंत मृत्यु हो गई होगी।इसके अलावा, जांच अधिकारी ने उस प्रकाश स्त्रोत को जब्त नहीं किया जिसे पीडब्लू 5 द्वारा पहचान का स्रोत बताया गया था। इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी ने गवाही दी कि मृतक के कपड़ों पर कोई कट के निशान नहीं थे। कई चाकू की चोटों के बावजूद इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर खामियां हैं, और परिस्थितियों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के अपराध की ओर इशारा नहीं करती है। इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण, तथ्यों के संदर्भ में गलत, कानूनी तर्क में कमी और योग्यता से रहित हैं, जिससे दोषसिद्धि के निर्णय को दरकिनार किया जाना उचित है।

7. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्ान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि के निर्णय और चुनौती के तहत सजा के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है।यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाह मुकदमे के दौरान गवाही में सुसंगत रहे हैं और अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी नहीं है।गवाहों की गवाही में मामूली विसंगतियां उनके साक्ष्य को समग्र रूप से अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती हैं।यह आगे तर्क दिया गया है कि परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई अंतराल नहीं है और सभी साक्ष्य अपीलार्थियों के

अपराध की ओर इशारा करते हैं। अतः, यह तर्क दिया गया है कि विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा अपीलार्थियों का अपराध संतोषजनक रूप से साबित हुआ है और विद्वत विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है।

8. अभिलेख को देखने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद, इन अपीलों में विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैंः .

(I) क्या मौखिक मृत्यु घोषणा पर पहचान के स्रोत के अभाव में और डॉक्टर की गवाही पर विचार करने पर भरोसा किया जा सकता है?

(II) क्या सूचना देने वाले (पीडब्लू5) द्वारा दिए गए बयान के आलोक में घटना स्थल पर कथित चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू1 से पीडब्लू4) की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है?

(III) क्या घटना के कथित स्थान पर पीडब्लू5 की उपस्थिति को इस तथ्य के आलोक में स्वीकार्य माना जा सकता है कि उसने मृतक की आवाज 800 गज से सुनी थी जो 0.728Km के बराबर है?

(IV) क्या चाकू से कई चोटों के बावजूद मृतक के कपड़ों पर कट के निशान का न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है?

(V) क्या मृत व्यक्ति को तालाब से बाहर निकालने में सूचना देने वाले और जिनके सामने यह आरोप लगाया जाता है कि मृतक ने मौखिक गवाही दी थी, उन भौतिक गवाहों (राहुल पासवान, घमरी अंसारी और संजू सिंह) से पूछताछ न होने से अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है?

9. निर्गम सं. 1 के संदर्भ में अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह घटना 7.00 और 7.30 सायं के बीच .अक्टूबर महीने के दौरान हुई इसके अलावा, यह फरदबेयान से पाया गया है, जिसे प्रदर्शनी 1 और कथित चश्मदीद गवाहों की गवाही से कि मृतक ने कथित चश्मदीद गवाहों और सह-ग्रामीणों के सामने मौखिक मृत्यु की घोषणा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने उस पर चाकू से बुरी तरह हमला किया है और उसे जल्दी से इलाज के लिए ले जाने के लिए कहा है। ये दिए गए तथ्य मौखिक मृत्यु घोषणा करने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने पहचान के स्रोत के बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया है जिसमें मृतक ने अपीलार्थियों की पहचान की है।

इसके अतिरिक्त, पीडब्लू5 (मुखबिर) ने अपने बयान के पैरा 12 में उल्लेख किया है कि वह एक अंधेरी रात थी। घटना के समय को ध्यान में रखते हुए (7-7:30 26 अक्टूबर को सांय), यह ऐसी स्थितियों में सटीक पहचान की संभावना के बारे में सवाल उठाता है। इस मोड़ पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु घोषणा के लिए उद्धृत सिद्धांतों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। ए. आई. आर. ***1958*** एस. सी. ***22*** में रिपोर्ट किए गए खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य

पैरा 16

> "साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में तय किए गए मामलों की समीक्षा पर, हम मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की राय से सहमत होकर, उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।
>
> (1) कि यह कानून के एक पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है;
>
> (2) कि प्रत्येक मामले का निर्धारण उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए जिनमें मृत्यु की घोषणा की गई थी;
>
> (3) कि यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु घोषणा अन्य साक्ष्यों की तुलना में एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है; (4) कि मृत्यु पूर्व दिया गया व्यान किसी अन्य सबूत के समान ही होता है और इसका मूल्यांकन आस-पास की परिस्थितियों के आलोक में और सबूतो के वजन को नियंत्रित करने वाले सिदां्तो के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
>
> (5) एक मृत्यु घोषणा जो एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से दर्ज की गई है, अर्थात प्रश्नों और उत्तरों के रूप में, और जहां तक व्यवहार्य हो, घोषणा के निर्माता के शब्दों में, मृत्यु घोषणा की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करती है जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी दुर्बलताओं से पीड़ित हो सकती है, और
>
> (6) कि मृत्यु घोषणा की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, अदालत को परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि मरने वाले व्यक्ति को अवलोकन के

लिए अवसर, उदाहरण के लिए, क्या पर्याप्त प्रकाश था यदि अपराध रात में किया गया था; क्या व्यक्ति की तथ्यों को याद रखने की क्षमता उस समय बाधित नहीं हुई थी जब वह बयान दे रहा था, अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण; कि बयान पूरे समय सुसंगत रहा है यदि उसके पास आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा मृत्यु घोषणा करने के कई अवसर थे; और कि बयान जल्द से जल्द अवसर पर दिया गया था और इच्छुक पक्षों द्वारा शिक्षण का परिणाम नहीं था।

वर्तमान मामले के तथ्यों के आलोक में और मृत्यु घोषणा के संबंध में शासी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें मृतक द्वारा की गई मौखिक मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना मुश्किल लगता है।इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर (पीडब्लू 6) के साक्ष्य के माध्यम से उनके बयान के पैरा 19 में कहा गया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित चोटों को बनाए रखने के बाद, व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी।

इसलिए, मृतक द्वारा की गई मौखिक मृत्यु घोषणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृतक को लगी चोटों के बारे में पहचान के स्रोत और डॉक्टर की गवाही के बारे में कोई सबूत नहीं है।

तदनुसार, मुद्दा नम्बर में फैसला नकारात्मक में किया जाता है।

10. निर्गम सं. II के संदर्भ में यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सूचना देने वाले सहित पांच चश्मदीद गवाह होने का आरोप लगाया है, जो सभी संबंधित गवाह हैं।हालांकि पीडब्लू1 से पीडब्लू5 कथित घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं।यह ध्यान देने योग्य है कि, दुर्भाग्य से पेपर-बुक से यह स्पष्ट है कि दो व्यक्तियों की पी. डब्ल्यू. 3 के रूप में जांच की गई है।जहाँ तक प्रथम पीडब्लू 3 साक्ष्य का संबंध है, राजीव साओ साव पुत्र नाथूनी साव। चूंकि उन्हें बचाव पक्ष द्वारा परीक्षण के लिए पेश नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा जाँच और अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारण।उसके साक्ष्य को नहीं देखा जा सकता है।पीडब्लू 3 राजेंद्र साओ पुत्र स्वर्गीय काशीनाथ साओ की ओर आते हैं, जो इस मामले का चश्मदीद गवाह होने का भी दावा करते हैं।

घटना के कथित स्थान पर पीडब्लू1 से पीडब्लू4 की उपस्थिति पीडब्लू5 (मुखबिर) की गवाही के आलोक में संदिग्ध हो जाती है, जहां उन्होंने अपने बयान के पैरा 13 में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने देखा कि मृतक सड़क पर लेटा हुआ था, वह चिल्लाते हुए वापस चला जाता है

और उसके बाद बाकी पीडब्लू1 से पीडब्लू4 घटना के स्थान पर एक साथ आ जाते हैं।इसलिए, पीडब्लू5 के बयान के अनुसार, किसी भी चश्मदीद ने उसे पहले नहीं रखा था, बल्कि चिल्लाने के बाद, जब सूचना देने वाला फिर से घटना स्थल पर गया तो मृतक तालाब में था।इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करना अनिवार्य है सुनील कुमार शंभूदयाल गुप्ता और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में पारित, (2010) 13 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया गया **657 ,** जहाँ पैरा नं**. 16** निम्नलिखित देखा गया हैः

> "चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां, यदि प्रकृति में मामूली नहीं पाई जाती हैं, तो उस साक्ष्य पर अविश्वास करने और उसे बदनाम करने का आधार हो सकता है।ऐसी परिस्थितियों में गवाह विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकते हैं यदि साक्ष्य अन्य साक्ष्य और पहले से दर्ज बयान के साथ संघर्ष और विरोधाभास में पाया जाता है।

ऐसे मामले में, यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित किया। ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि गवाहों की गवाही में उचित संदेह, विरोधाभास और विसंगतियां मौजूद हैं जो घटना के स्थान पर चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू1 से पीडब्लू4) की उपस्थिति पर संदेह पैदा करती हैं।

तदनुसार, मुद्दा नं। II सकारात्मक रूप से तय किया जाता है।

11. मुदा् सं. III के संदर्भ में (पीडब्लू5) मुखबिर की गवाही की विश्वसनीयता का आकलन करते समय, 800 गज की पर्याप्त दूरी से मृतक के चीखों को सुनने के उसके दावे की संभाव्यता का मूल्यांकन करना सर्वोपरि हो जाता है, जो 0.728 किलोमीटर के बराबर है।जाँच अधिकारी (पीडब्लू9) ने स्वीकार किया है कि मृतक के निवास और घटना के कथित स्थान के बीच की दूरी 800 गज है, जो 0.728 किलोमीटर के बराबर है।इस तरह की व्यापक दूरी कथित स्थल पर ध्वनिक स्थितियों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करती है।अभियोजन पक्ष का तर्क है कि मुखबिर, पीडब्लू5, अपने आवास के सामने सड़क पर तैनात रहते हुए मृतक की आवाज सुनने का दावा करता है।इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 5 की गवाही और अन्य गवाहों के पुष्टि करने वाले बयानों के माध्यम से यह पता चला है कि पी. डब्ल्यू. 5 उसके दरवाजे पर मौजूद था जहां 4-5 अन्य व्यक्ति ग्रिल उतारने में लगे हुए थे। हालाँकि, यह इस न्यायालय के दायरे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करता है।न्यायालय को यह अविश्वसनीय लगता है कि एक साधारण व्यक्ति इतनी दूर से सुनाई देने वाली आवाज़ों को महसूस कर सकता है, विशेष रूप से दैनिक

जीवन के संभावित परिवेशी शोर के बीच।इन चिंताओं के आलोक में, न्यायालय इस संदर्भ में पीडब्लू5 की गवाही की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए मजबूर है।

इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि, ग्रिल उतारते समय पीडब्लू5 के आसपास के व्यक्तियों से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए, 800 गज (0.728 किलोमीटर के बराबर) की दूरी से मृतक की आवाज़ सुनने का उनका दावा अनुचित प्रतीत होता है।नतीजतन, घटना स्थल पर पीडब्लू5 की उपस्थिति और इस मामले के चश्मदीद होने की विश्वसनीयता संदेह के अधीन है।

तदनुसार, मुद्दा नं। III को नकारात्मक में तय किया जाता है।

12. मुद्दा संख्या IV को संबोधित करते हुए इस दावे को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि मृतक को चाकू से कई चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।हालाँकि, जाँच रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, यह स्पष्ट है कि मृतक के कपड़ों पर कटने के निशान का कोई संदर्भ नहीं है।इस महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि पैराग्राफ 14 में जांच अधिकारी (पीडब्लू9) के बयान से होती है, जिसमें वह मृतक द्वारा पहनी गई बनियान और जींस पर किसी भी कट के निशान के न होने की पुष्टि करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट, जिसे प्रदर्श 6 के रूप में चिह्नित किया गया है, स्पष्ट रूप से मृतक को जींस और एक बनियान पहने हुए बताती है, फिर भी कपड़ों पर किसी भी कट के निशान या परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर (पीडब्लू 6) की गवाही विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो मृतक के शरीर पर चाकू से कई चोटों की उपस्थिति को दर्शाती है।विशेष रूप से, मृतक ने जींस और बनियान पहना हुआ था, और यह स्पष्ट है कि ये चोटें तेज कट चोटों के साथ मेल खाती हैं, विशेष रूप से छाती के बाईं ओर चोट संख्या (iii), एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र पर चोट संख्या (iv), पेट के बाईं ओर चोट संख्या (v), छाती के पीछे पांच स्थानों पर चोट संख्या (vii), और दिल के पास छाती के सामने चोट संख्या (viii)।नतीजतन, यह तर्कसंगत है कि मृतक के कपड़ों पर कट के निशान दिखाई देने चाहिए थे।

पूर्वगामी विश्लेषण और इसमें उठाए गए मुद्दों के आलोक में, यह न्यायालय अभियोजन पक्ष के मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए मजबूर है।चाकू से कई चोटों के होने के बावजूद, मृतक के कपड़ों में बदलाव का कोई उल्लेख न होना, अभियोजन पक्ष के कथन के लिए एक दुर्जेय चुनौती है।जाँच रिपोर्ट, गवाहों की गवाही और पोस्टमॉर्टम के निष्कर्ष सामूहिक रूप से प्रस्तुत साक्ष्य की सत्यता और पूर्णता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करते हैं।यह न्यायालय इस

बात को रेखांकित करता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने का बोझ उचित संदेह से परे रखता है। और मृतक के कपड़ों की स्थिति के आसपास की विसंगतियां और उस पर कट के निशान की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण अस्पष्टता पैदा करती है। कपड़ों पर कट के निशान की उपस्थिति का समर्थन करने वाले ठोस सबूतों के अभाव में, अभियोजन पक्ष के मामले में एक मौलिक अंतर उभरता है।

तदनुसार, मुद्दा नं। IV सकारात्मक रूप से तय किया जाता है।

13. निर्गम सं. V के संदर्भ में फरदबेयान, जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया है, से यह स्पष्ट है कि तीन व्यक्ति, राहुल पासवान, घमरी अंसारी और संजू सिंह ने मृतक को तालाब से बाहर निकालने में मुखबिर की मदद की, मौखिक मृत्यु घोषणा के स्वतंत्रता गवाह हो सकते थे और इन भौतिक गवाहों की गैर-परीक्षा ने अभियोजन पक्ष पर संदेह पैदा कर दिया।इस संदर्भ में, तखाजी हीराजी बनाम ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंह ने (2001) 6 एस. सी. सी. 145 में रिपोर्ट किया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। फैसले के पैराग्राफ 19 में, यह देखा गया है कि एक भौतिक गवाह की गैर-जांच, जो आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है या अभियोजन पक्ष के मामले में अंतराल को भर सकता है, अदालत को अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है।हालाँकि, यदि भारी सबूत पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, तो अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ न करना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।ऐसे मामलों में के साक्ष्य के मूल्य की जांच करनी चाहिए। पहले से प्रस्तुत और विचार करें कि क्या प्रश्नगत गवाह उपलब्ध था लेकिन रोक दिया गया था।इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय के आलोक में, वर्तमान मामले के तथ्यों में हम पाते हैं कि एफ. आई. आर. में नामित व्यक्ति जिन्होंने मृतक को तालाब से बाहर निकालने में सूचना देने वाले की मदद की थी और जिन्होंने मौखिक मृत्यु घोषणा को सुना होता यदि किया जाता और यदि रोक नहीं लगाया जाता तो वे इस मामले के एक भौतिक स्वतंत्र गवाह हो सकते थे। इस प्रकार, इस मामले में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा रोके गए भौतिक गवाह से पूछताछ न करने से अपीलार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ।

तदनुसार, मुद्दा सं. V सकारात्मक रूप से तय किया जाता है।

14. उपर्युक्त कानूनी स्थिति के आलोक में और ऊपर बनाए गए मुद्दों पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, हमारी यह सुविचारित राय है कि सभी अपीलों में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है।

15. इसलिए, सभी आपराधिक अपीलों की अनुमति दी जाती है और 2013 के काराकट थाना मामले से उत्पन्न 2014 के सत्र मुकदमे में रोहतास, सासाराम के सत्र न्यायाधीश श्री प्रभु नाथ सिंह द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश रद्द कर दिया जाता है।

16. चूंकि 2017 की आपराधिक अपील (खंड-पीठ) नं. 325 के अपीलार्थी शंकर चौधरी और 2017 की आपराधिक अपील (खंड-पीठ) नं. 481 के अपीलार्थी देविंद्र कुमार चौधरी जेल हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने पर तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

17. 2017 की आपराधिक अपील (खंड-पीठ) नं. 456 के अपीलार्थी सुकेश साह जमानत पर हैं, उन्हें अपने जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(सुधीर सिंह**,** न्यायमूर्ति**)**

(चंद्र प्रकाश सिंह**,** न्यायमूर्ति**)**

नरेंद्र/-

खण्डन **(**डिस्क्लेमर**):-** स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय**,** पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक**,** कार्यालयी**,** न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ**,** निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।